(ग) कुछ परिपत्र आदि केवल अंग्रेजी में जारी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि हिन्दी में भी जारी करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). सामान्य आदेशों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना आवश्यक है, किन्तु कार्यालय ज्ञापनों के लिए यह आवश्यकता लागू नहीं होती। संशोधित राज भाषा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वियन के लिए प्रशासनिक अनुदेश तारीख 6-7-1968 को जारी किये गये थे। इसके बाद इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्ध करने में कुछ समय लगा।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा सन् 1968 के अंतिम छः महीने में वेतन और भत्तों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र जारी करने से संबंधित सूचना एकत्र करने में होने वाला परिश्रम और व्यय प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगा। तथापि, इस अवधि में गृह मंत्रालय द्वारा "सामान्य आदेशों" के जारी करने से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :—

संख्या	द्विभाषिक रूप में जारी किये गये	केवल अंग्रेजी में जारी किये गये
57	27	30

(घ) सामान्य आदेशों से संबंधित इस आवश्यकता के कार्यान्वयन की जांच तिमाही प्रगति रिपोर्टों द्वारा की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली के लिए एकीकृत नागरिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था

2110. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री हरद्याल देवगुण :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री यशवन्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की महानगर परिषद् ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है कि दिल्ली की वर्तमान नागरिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था के स्थान पर एक एकीकृत तथा शक्तिशाली व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो कब किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किये जाने वाली सदन के 11 सदस्यों की एक समिति, प्रशासनिक व्यवस्था के इस समस्त विषय पर विचार करने के लिए, गठित की जानी चाहिये और इसे अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले दिन ही प्रस्तुत करना चाहिये।

(ख) और (ग). उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए इस समय प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी विरोधी वातावरण

2111. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम चरण :
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के उस विचार (10 जुलाई, 1967 का प्रतिवेदन, पृष्ठ 30) की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी विरोधी वातावरण है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी विरोधी वाता-